

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011—आश्विन 8, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. 5528-इक्कीस-अ(प्रा.)शुद्धि-पत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 26 फरवरी 2011 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों एवं अंक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द एवं अंक पढ़े जाएं :—

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द एवं अंक	सारणी		शुद्ध शब्द एवं अंक जो पढ़े जाएं
	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द एवं अंक आए हैं		
(1)	पृष्ठ	पंक्ति	(3)
2010	166	35	2011
high	166(2)	14	High
Special Court:	166(2)	16	Special Court.
Justice	166(2)	25	justice

राजेश यादव, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं